न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, खगड़िया।
आपराधिक जमानत आवेदन सं0–152/2026
(सत्र वाद सं0–689/25)
खगड़िया (गंगौर) थाना काण्ड सं0–352/18
अमित सदा एवं अन्य – बनाम् – बिहार राज्य

उपस्थित
संजय कुमार–।।,
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,
खगड़िया।

13.03.2026

आवेदक/अभियुक्तगण–**1. अमित सदा एवं 2. भिखारी सदा** की ओर से दाखिल आत्मसमर्पण–सह–जमानत आवेदन को उनके विद्वान् अधिवक्ता श्री कविन्द्र कुमार के द्वारा प्रचालित किया गया। जमानत की प्रति अभियोजन पक्ष को दी गयी है। मामला जमानत का दुरूपयोग का है। पुकार पर आवेदक/अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित हुए, जिन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

जमानत के बिन्दु पर आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आवेदकगण प्रस्तुत मामले में जमानत पर थे और अभिलेख आरोप गठन के बिन्दु पर सुनवाई हेतु नियत था। आवेदकगण के द्वारा मामले में उचित पैरवी नहीं किये जाने के कारण उनका जमानत बंध–पत्र दिनांक 24.02.2026 को खण्डित कर दिया गया। आवेदकगण के द्वारा जान–बूझकर जमानत के विशेषाधिकार का दुरूपयोग नहीं किया है, बल्कि उनके पैरवीकार की गलती के कारण ऐसा हुआ है, जो आवेदकगण को ठीक से सूचिक नहीं कर सके। आवेदकगण के द्वारा अब ऐसी गलती नहीं की जायेगी तथा मामले में उचित पैरवी की जायेगी। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर आवेदक/अभियुक्तगण को जमानत पर छोड़ने की कृपा की जाय।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्तगण प्रस्तुत मामले में जमानत पर थे। अभिलेख आरोप गठन के बिन्दु पर सुनवाई हेतु नियत था। पुकार एवं

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, खगड़िया।
आपराधिक जमानत आवेदन सं0–152/2026
(सत्र वाद सं0–689/25)
खगड़िया (गंगौर) थाना काण्ड सं0–352/18

लगातार
13.03.2026

बार–बार पुकार के बावजूद भी आवेदकगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, तो उनका जमानत बंध–पत्र दिनांक 24.02.2026 को विखण्डित कर दिया गया एवं उनके विरूद्ध गैर–जमानतीय अधिपत्र निर्गत करने का आदेश पारित किया गया। आवेदकगण की ओर से यह कहा गया है कि उन्होंने जान–बूझकर जमानत के विशेषाधिकार का दुरूपयोग नहीं किया है, बल्कि उनके पैरवीकार की गलती के कारण ऐसा हुआ है, जो आवेदकगण को ठीक से सूचिक नहीं कर सके। आवेदकगण के द्वारा अब ऐसी गलती नहीं की जायेगी तथा मामले में उचित पैरवी की जायेगी। आवेदक/अभियुक्त आज न्यायालय में स्वेच्छा से आत्मसमर्पण किये हैं, ऐसी दशा में उन्हें जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्तगण को मो0–10,000/– (दस हजार) रूपये राशि के दो समान प्रतिभूओं के द्वारा जमानत बंध–पत्र दाखिल किये जाने एवं जाँचोपरान्त, सही पाये जाने पर जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि **आवेदक/अभियुक्तगण का दोनों जमानतदार उनके परिवार के निकट संबंधी होंगे।**

लेखापित एवं शुद्धिकृत

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,
खगड़िया।